एम.आर. प्रभाकर और अन्य

बनाम

केनरा बैंक और अन्य

(2012 की सिविल अपील संख्या 7188-7191 आदि)

3 अक्टूबर 2012

(केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति)

सेवा कानूनः पेंशन - अंशदायी भविष्य निधि के बदले में - सांविधिक समझौता ,संयुक्त नोट पेंशन विनियम, 1995 के अनुसरण में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया गया- पेंशन समझौता और विनियम से पहले त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का अधिकार - अभिनिर्धारितः हकदार नहीं हैं क्योंकि वे पेंशन समझौता और विनियम के अंतर्गत पेंशन योजना में विनियम के तहत नहीं आते - लाभों का दावा करने के लिए पहले से मौजूद कोई भी कानूनी, वैधानिक या मौलिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके, - केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 - विनियम 22 और 29।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, 58 बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके कामगार ने एक समझौता ज्ञापन अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम सपठित औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 दिनांक 29.10.1993 किया। एसोसिएशन ने अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के बदले में एक पेंशन योजना शु करने पर सहमति व्यक्त की। सीपीएफ के बदले दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ के प में पेंशन की प्रस्तावना को लेकर ज्वाइंट नोट भी बनाया गया। प्रतिवादी-बैंक ने केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 बनाया।

अपीलार्थी प्रतिवादी बैंक के अधिकारी थे, जिन्होंने 03.06.1993 से पहले त्यागपत्र दे दिया था और अपने संबंधित पदों से मुक्त हो गए थे, अर्थात दिनांक 29.10.1993 के वैधानिक समझौता से पहले, संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 का विनियमों में पालन किया गया था। उन्होंने सीपीएफ के बदले पेंशन का दावा करते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया। रिट अपील में, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने उनके दावे को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित कियाः 1.जब अपीलार्थीगण ने अपने इस्तीफे के पत्र प्रस्तुत किए तो वे केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 द्वारा शासित थे। 1979 के विनियमों के विनियम 20(2) सेवा से त्यागपत्र से संबंधित थे, उस प्रावधान के प्रकाश में इस्तीफे दिये गये थे। अपीलार्थी यह दर्शित करने में असफल रहा है कि उनके पक्ष में वैधानिक समझौता/संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 या केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत कोई भी पूर्व अधिकार मौजूद हो। अपीलार्थी ने दिनांक 1.11.1993 से पूर्व ही अपनी सेवाओं का त्याग कर चुके थे इसलिए वे वैधानिक समझौता, संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 और विनियम 1995 के अन्तर्गत नहीं आते है। वे विनियम 1995 के लाभ का दावा करने के लिए अपने पक्ष में कोई पूर्व-मौजूदा कानूनी, वैधानिक या मौलिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके। (पैराग्राफ 20) (1088-बी-डी)

यूको बैंक और अन्य बनाम सांवर मल

(2004) 4 एससीसी 412; 2004 (2) एससीआर 1125- पर भरोसा किया गया।

शीलकुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एफ लिमिटेड और अन्य

(2011) 12 एससीसी 197ः 2011 (9) एससीआर 574 - अंतर किया।

मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ और अन्य।

(1996) 6 एससीसी 459 - संदर्भित।

2. यह कहना सही नहीं है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कानूनी परिभाषा के अभाव में या इस्तीफे के कानूनी प से निर्धारित परिणामों के अभाव में, इसे स्वैच्छिक सेवा त्याग के अर्थ में समझा जाना चाहिए और यह कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

विनियम की उपधारा 2(ल) के तहत परिभाषा खंड में कोई अस्पष्टता नहीं है जो वैधानिक प से इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में ''सेवानिवृत्ति के प में लाया गया है। यद्यपि इस्तीफे की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से ज्ञात है, लेकिन इसे विनियमन की उपधारा 2 (वाई) के तहत सेवानिवृत्ति की परिभाषा में नहीं लाया गया है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति शब्दों के अर्थ में कुछ समानता है, लेकिन त्यागपत्र नहीं। विनियम 3(1)(ए) में विशेष प से सेवानिवृत्ति को अभिव्यक्ति तौर पर उपयोग किया गया है और त्यागपत्र को परिभाषा खंड में या विनियमन 3(1)(ए) में शामिल नहीं किया गया है।

प्रकरण कानून संदर्भः

(1996) 6 एससीसी 459 संदर्भित पैरा 6

2004 (2) एससीआर 1125 पर भरोसा पैरा 15

2011 (9) एससीआर 57 4 विशिष्ट पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या. 7188-7191/2012

कर्नाटक उच्च न्यायालय,बेंगलुरु रिट अपील संख्या 1037, 1934, 1941, 1969/2002 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.11.2006 से

के साथ

सिविल अपील संख्या 7185-7186, 7192-7193 और 7194-7195/2012.

ए.बी. डायल, वी.के राव, राजू रामचन्द्रन, नवीन आर नाथ, ललित मोहिनी भट्ट, दर्पण केएम, अर्निता शर्मा, संजय शरावत, अनन्या, राजीव नंदा, आयुषा कुमार, मधु सीकरी, राजेश कुमार, यशराज देवड़ा, प्रशांत नारंग, सर्व मित्तर (मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए) राम लाल रॉय, आरएन केशवानी, ओ.पी. गग्गर उपस्थित दलों के लिए ।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया - के.एस. राधाकृष्णन, न्यायाधिपति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हम, इन अपीलों के समझौता के लिए, 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 30983-30986 से उत्पन्न सिविल अपीलों के तथ्यों से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी अपीलों में विचार के लिए समान प्रश्न प्रकट होते हैं।

3. हम, इन अपीलों में, केनरा बैंक के कुछ अधिकारियों के अंशदायी भविष्य निधि (संक्षेप में सीपीएफ' के लिए) के बदले पेंशन के दावे की वैधता से संबंधित हैं, जिन्होंने दिनांक 03.06.1993 से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था और अपने संबंधित पदों से मुक्त हो गए थे, अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत वैधानिक समझौता दिनांक 29.10.1993 पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993, उसके बाद केनरा बैंक पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में विनियम 1995'), जिसे 29.9.1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया लेकिन उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पृथक निर्णय पारित किया इसलिए ये अपीलें प्रस्तुत हुई है।

5. जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, हम 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 30983-30986 से उत्पन्न सिविल अपील में मामले के तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। अपीलार्थीगण की नियुक्ति की तारीख और उनके त्यागपत्र की दिनांक इस प्रकार हैंः

याचिकाकर्ता की स्थिति काज लिस्ट के अनूसार स्थिति	नियुक्ति की दिनांक	त्यागपत्र की दिनांक
1.एम.आर प्रभाकर	27.05.1970	04.06.1991
2.एस. आनन्द राओ	09.09.1970	22.09.1990
3.एन. आनन्द	17.12.1969	19.04.1993
4.एस के मेहता	15.12.1965	01.05.1991
5.एन वी रंगास्वामी	24.07.1968	09.01.1991
6.एस सत्यनारायण	07.07.1970	20.07.1992
7.के एस सेशाद्री	18.02.1970	20.07.1992
8.के सुरेश राओ	02.05.1990	30.06.1990
9.पी गोविन्द पाई	03.04.1968	30.03.1988
10.के वी पुरानिक	01.02.1963	24.07.1986

उपर्युक्त अपीलार्थीगण ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत वैधानिक समझौता दिनांक 29.10.1993 और संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 पर हस्ताक्षर करने

से पूर्व दिनांक 24.7.1986 और दिनांक 3.6.1993 के बीच अपने त्यागपत्र प्रस्तुत किए थे। सीपीएफ के बदले दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ के प में पेंशन' के संबंध में अपीलार्थीगण ने विनियम 1995 के विभिन्न प्रावधानों पर विश्वास करते हुए प्रस्तुत किया कि पेंशन विनियम सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ के प में प्रस्तुत किए गए थे। यह बताया गया कि जिस कर्मचारी ने बैंक से त्यागपत्र दे दिया था, वह विनियम 22 के कार्यान्वयन के अलावा पेंशन से वंचित नहीं था। यदि इस विनियमन को अपीलार्थीगण के वि द्ध लागू किया गया था, तो इसके परिणाम असंगत होंगे क्योंकि उनका पूर्व का सेवाकाल समपहरण हो जायेगा, जैसे कर्मचारी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि सहित किसी भी पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, यह बताया गया कि जब अपीलार्थीगण ने अपना त्याग पत्र जमा किया था तब नियम 22 अस्तित्व में था ही नहीं, इसलिए उक्त विनियमन अपीलार्थीगण को किसी भी पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए काम नहीं कर सकता था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि जब अपीलार्थीगण ने दिनांक 1.1.1993 से पूर्व अपने इस्तीफे के पत्र जमा कर दिए थे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणा बैंक अधिकारी विनियम, 1979 (संक्षेप में विनियम 1979') के तहत अस्तित्व में नहीं थी। यह बताया गया कि विनियम 1979 न तो त्यागपत्र शब्द को कानूनी प से परिभाषित करता है और न ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति शब्द को। दूसरे शब्दों में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणा को केवल 29.9.1995 से सेवानिवृत्ति लाभ के प में पेंशन की शु आत के कारण परिभाषित करने की आवश्यकता थी।

6. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कानूनी परिभाषा के अभाव में या त्यागपत्र के किसी विधिक प से निर्धारित परिणाम के अभाव में, इसे सेवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अर्थ में समझा जा सकता है। इसके अलावा, यह भी आग्रह किया गया कि त्यागपत्र

और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच वैचारिक अंतर केवल तभी आता है जब यह कानूनी नुस्खे द्वारा किया जाता है, न कि सामान्य अर्थ में जैसा कि नियुक्ति के दायरे में माना जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पेंशन नियमों को इसके इच्छित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए और इसे उन कर्मचारियों को वंचित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या यहां तक कि समय से पहले सेवानिवृत्ति के आधार पर सम्मानपूर्वक सेवाएं छोड़ दी हैं। शीलकुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2011) 12 एससीसी 197 में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर काफी भरोसा किया गया था और प्रस्तुत किया गया था कि उस फैसले में अभिनिर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होंगे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ और अन्य (1996) 6 एससीसी 459 में इस न्यायालय द्वारा रखा गया लाभकारी निर्माण अपीलार्थीगण को पेंशन लाभ प्रदान करने के माध्यम से भी लागू है।

7. प्रतिवादी बैंकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पेंशन के दावे से इनकार कर दिया था, जिन्होंने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और इंडियन बैंक एसोसिएशन (संक्षेप में) के मध्य समझौता होने से पूर्व अपनी संबंधित सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, ''आईबीए'' और वह विनियम 1995 अपीलार्थीगण पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, यह बताया गया कि अपीलार्थीगण ने दिनांक 1.1.1993 से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था और वैधानिक समझौता या दिनांक 29.10.1993 के संयुक्त नोट और विनियम 1995 की परिधि में नहीं किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में यह दर्शित किया गया था कि या तो निर्भरता विनियम 29 या विनियम 22 पूरी तरह से गलत था क्योंकि अपीलार्थी 1.11.1993 से संबंधित बैंकों द्वारा शु की गई पेंशन योजना के दायरे में

नहीं थे। बैंकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यूको बैंक और अन्य बनाम सांवर मल (2004) 4 एससीसी 412 में इस न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है। उस मामले में, वही विनियमन व्याख्या के लिए आया और समान राहतें मांगी गईं, जिन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि शीलकुमार जैन का मामला (सुप्रा) एक बीमा योजना की व्याख्या कर रहा था, जो बैंकों पर लागू विनियम 1995 के साथ तुलनात्मक नहीं है।

8. इन दो मुख्य अपीलों में अपीलार्थी केनरा बैंक के अधिकारी थे, जिन्होंने दिनांक 24.7.1986 और दिनांक 03.06.1993 के मध्य त्यागपत्र दे दिये थे और अपनी संबंधित सेवा से मुक्त हो गए थे। 58 बैंकों और उनके कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आईबीए ने 29.10.1993 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (पी) और धारा 18 (1) के तहत औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 के नियम 58 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। फरवरी 1990 में कामगार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर बातचीत के दौरान, आईबीए भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान के बदले में कामगार कर्मचारियों के लिए बैंकों में एक पेंशन योजना शु करने पर सहमत हुआ। आईबीए द्वारा सहमत पेंशन योजना मोटे तौर पर केंद्र सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक पैटर्न पर आधारित होनी थी, योजना का विवरण बाद में तैयार किया गया था। सीपीएफ के बदले दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ के प में पेंशन की शुरुआत के संबंध में एक संयुक्त नोट भी बनाया गया था। संयुक्त नोट का खंड (4) इस प्रकार हैः

> "(पअ) पेंशन योजना उन सेवानिवृत्त अधिकारियों तक भी विस्तारित की जाएगी जो दिनांक 1.1.1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। वे दिनांक 1.1.1993 से मासिक पेंशन के साथ-साथ विनिमय सुविधा के भी हकदार होंगे, जो अधिकारी पेंशन योजना का

लाभ उठाते हैं। उन्हें भविष्य निधि में बैंक के योगदान को उनके द्वारा लिए गए ब्याज के साथ-साथ भविष्य निधि की निकासी की तारीख से धन वापसी की तारीख तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस करना होगा''

9. वैधानिक समझौता और संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 को आगे बढ़ाते हुए, पेंशन विनियमों के मसौदे पर बातचीत की गई और समझौता किया गया। खंड 17(1), जहां तक यह वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, यहां नीचे दिया गया हैः

''17(1) सेवा विनियम सेवा नियमों में निहित किसी बात को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को लिखित प में तीन महीने का नोटिस देने के बाद 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जा सकती है।''

10. बाद में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने, आरबीआई के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 नामक नियम बनाए गए। इसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू किया गया और 29 सितंबर, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। विनियमों का अध्याय प्प् आवेदन और पात्रता से संबंधित है, विनियम 3(1)(ए) से 3(1)(सी) का कार्यकारी/प्रभावशील भाग इस प्रकार हैः

"3. आवेदनः ये विनियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो,-

(1) (ए) 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, लेकिन 1 नवंबर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, और

(बी) निधि का सदस्य बनने के लिए अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित प में एक विकल्प का प्रयोग करें और

(सी) खंड(बी) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर रिफंड, भविष्य निधि में बैंक के योगदान की पूरी राशि, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल है, साथ ही भविष्य निधि खाते के समझौता की तारीख से उक्त राशि पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज भी शामिल है। बैंक को उपरोक्त राशि की वापसी

***** *****

***** *****

11. विनियम 22, जिसे विनियमों के अध्याय प्ट में स्थान मिलता है, इस प्रकार हैः

"22 सेवा से त्यागः-

(1). बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी का त्यागपत्र या बर्खास्तगी या निष्कासन या समाप्ति से उसकी सम्पूर्ण पूर्व सेवा जब्त हो जाएगी और परिणामस्व प वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा

(2) बैंक कर्मचारी की सेवा में रुकावट के कारण उसकी पूर्व सेवा जब्त हो जाएगी, निम्नलिखित मामलों में अपेक्षित है, अर्थातः -

क) अनुपस्थिति का अधिकृत अवकाश

ख) निलंबन, जहां इसके तुरंत बाद बहाली होती है, चाहे वह समान या अलग पद पर हो, या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या

उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है,

ग) सरकार या बैंक के नियंत्रण में किसी प्रतिष्ठान में गैर-अर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो

घ) एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय।

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी प से असाधारण अवकाश के प में परिवर्तित कर सकता है।

(4) (ए) सेवा रिकॉर्ड में इसके विपरीत किसी विशिष्ट संकेत के अभाव में, बैंक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के दो चरणों के बीच रुकावट को स्वचालित प से माफ कर दिया जाएगा और पूर्व-व्यवधान सेवा को अर्हक सेवा के प में माना जाएगा,

(बी) खंड (ए) में त्यागपत्र, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन या हड़ताल में भाग लेने के कारण होने वाली रुकावट किसी पर भी लागू नहीं होगाः

बशर्ते कि हड़ताल में भाग लेने के कारण बैंक कर्मचारी की पिछली सेवा जब्त होने के संबंध में उसके सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने से पहले, ऐसे बैंक कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा सकता है।''

12. विनियमों के अध्याय ट में पेंशन की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। विनियमन 28 सेवानिवृत्ति पेंशन से संबंधित है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

"28. सेवानिवृत्ति पेंशनः- सेवानिवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौता में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है।"

29 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन -

1) 1 नवंबर 1993 को या उसके बाद, किसी भी समय जब कोई कर्मचारी बीस साल की अर्हक सेवा पूरी कर ले, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता हैः

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो विदेश में प्रतिनियुक्ति पर है या अध्ययन अवकाश पर है, जब तक कि स्थानांतरित होने या भारत लौटने के बाद उसने भारत में पद का प्रभार फिर से शु नहीं किया हो और कम से कम एक वर्ष: अवधि तक सेवा की हो।

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्थान या निकाय में स्थायी प से समाहित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसमें वह उस समय प्रतिनियुक्ति पर है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के संबंध मेंः

बशर्ते कि यह उप-विनियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे विनियम 2 के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त माना जाता है।

2. उप-विनियम (1) के तहत दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगीः

बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

3. (ए) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने से कम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करने के लिए लिखित प में कारण बताते हुए अनुरोध कर सकता हैः

(बी) खंड (ए) के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, गुण-दोष के आधार पर तीन महीने की नोटिस की अवधि में कटौती के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि वह संतुष्ट है कि नोटिस की अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता में इस शर्त पर छूट दे सकता है कि कर्मचारी तीन माह के नोटिस की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के एक हिस्से के पान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।.

4. एक कर्मचारी, जिसने इस विनियमन के तहत सेवानिवृत्त होने का चयन किया है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दी है, उसे ऐसे प्राधिकारी की विशिष्ट मंजूरी के बिना अपना नोटिस वापस लेने से रोका जाएगाः बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि से पहले किया जाएगा।

5. इस विनियम के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी मामले में 33 वर्ष से अधिक न हो और ऐसा न हो कि उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे ले जाएं.

6. इस विनियमन के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन खंड के तहत परिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी

(डी) इन विनियमों के विनियमन 2 और उसकी अर्हक सेवा में पांच साल से अधिक की वृद्धि नहीं होने पर, उसे अपनी पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन के किसी भी काल्पनिक निर्धारण का अधिकार नहीं मिलेगा।

13. उपर्युक्त विनियमों के दायरे की सराहना करने के लिए, कुछ परिभाषा खंडों का उल्लेख करना आवश्यक है। सेवानिवृत्त शब्द को विनियम 1995 के विनियम 2(ग) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

> ''2(ग) 'सेवानिवृत्त में खंड (एल) के तहत सेवानिवृत्त माना गया शामिल है। सेवानिवृत्ति शब्द को विनियम 1995 के विनियम 2(ल) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः
>
> '2(ल) 'सेवानिवृत्ति का अर्थ है बैंक की सेवा से समाप्ति,-
>
> क) सेवा विनियमों या समझौता में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर
>
> बी) इन विनियमों के विनियम 29 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर
>
> ग) सेवा विनियमों या समझौता में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर।''

14. हमारे विचार में, अपीलार्थी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। अपीलार्थीगण ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कानूनी परिभाषा के अभाव में या त्यागपत्र के कानूनी प से निर्धारित परिणामों की अनुपस्थिति में, इसे स्वैच्छिक सेवा त्याग के अर्थ में समझा जाना

चाहिए। यह बताया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के मध्य कोई अंतर नहीं हो सकता है और उन अभिव्यक्तियों को उनके सामान्य शाब्दिक अर्थ में समझा जाना चाहिए।

15. हमें अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। विनियम 2(ल) के तहत परिभाषा खंड में कोई अस्पष्टता नहीं है, जिसमें वैधानिक प से 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति को 'सेवानिवृत्ति के प में लिया गया है। यद्यपि 'त्यागपत्र की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से ज्ञात है, लेकिन इसे विनियमन 2 (ल) के तहत 'सेवानिवृत्ति की परिभाषा में नहीं लाया गया है। इसके अलावा, 'सेवानिवृत्ति और 'सेवानिवृत्ति शब्दों के अर्थ में कुछ समानता है, लेकिन 'त्यागपत्र नहीं। विनियम 3(1) (ए) में विशेष प से 'सेवानिवृत्ति अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और अभिव्यक्ति 'त्यागपत्र को या तो परिभाषा खंड में या विनियम 3(1)(ए) में शामिल नहीं किया गया है। हमें इस मुद्दे पर ज्यादा मेहनत करने की जरत नहीं है, क्योंकि इन दो अवधारणाओं 'त्यागपत्र और'सेवानिवृत्ति के बीच का अंतर, उसी बैंकिंग विनियम 1995 के संदर्भ में, सांवर माल (सुप्रा) में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें इस न्यायालय ने 'त्यागपत्र और 'सेवानिवृत्ति शब्दों को अलग किया है और इस प्रकार माना हैः

> "9. .....'त्यागपत्र और 'सेवानिवृत्ति शब्द आम बोलचाल में अलग-अलग अर्थ रखते हैं। कोई कर्मचारी किसी भी समय, यहां तक कि अपनी नियुक्ति के दूसरे दिन भी त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के मामले में वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद ही सेवानिवृत्त होता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अर्हक सेवा पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त होता है। त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति का प्रभाव इस हद तक होता है कि रोजगार से विच्छेद हो जाता है लेकिन

सेवा न्यायशास्त्र में दोनों अभिव्यक्तियों को अलग-अलग समझा जाता है। विनियमों के तहत, अभिव्यक्ति 'त्यागपत्र और 'सेवानिवृत्ति को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए नियोजित किया गया है और अलग-अलग अर्थ रखते हैं। यहां पेंशन योजना बीमित गणना पर आधारित है यह एक स्व-वित्तपोषण योजना है, जो बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं करती है और परिणामस्व प यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता बनाती है। यह योजना अनिवार्य प से सेवानिवृत्त लोगों को कवर करती है क्योंकि उनके भविष्य निधि खाते में क्रेडिट शेष सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की तुलना में बड़ा है।

इसके अलावा, त्यागपत्र देने से मालिक और नौकर का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है, जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्ति लाभ देने के उद्देश्य से संबंध बनाए रखती है। इसी प्रकार, इस्तीफे की स्वीकृति नियोक्ता के विवेक पर निर्भर है जबकि सेवानिवृत्ति बैंक द्वारा बनाए गए नियमों, नियमों के अनुसार सेवा की समाप्ति है। सेवा की अवधि की परवाह किए बिना त्यागपत्र दिया जा सकता है, जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा पूरी करनी होती है। ....."

(जोर दिया गया)

उपर्युक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह भी माना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उसके अपवादों की तुलना में त्यागपत्र प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग मापदंड और मानदंड हैं। उस संदर्भ में, विनियम 1995 के

विनियम 22 के दायरे पर भी विचार किया गया और न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

> 9. .....हमारे विचार में, विनियम 22 उन कर्मचारियों के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और उन लोगों के लिए जिन्हें सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है। इसलिए, हमें प्रतिवादी की ओर से दिए गए तर्कों में कोई वरीयता नहीं मिलती है कि विनियमन 22 कर्मचारियों के ऐसे वर्ग को बाहर रखकर संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल एक मनमाना और अनुचित वर्गीकरण बनाता है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह भारतीय रिजर्व बैंक बनाम सेसिल डेनिस सोलोमन (2004) 9 एससीसी 461 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से समर्थित है। निष्कर्ष निकालने से पहले हम कह सकते हैं कि खंड 22 दंड की प्रकृति में नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है। यह केवल उस कर्मचारी को फंड का सदस्य बनने से वंचित करता है जिसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। ऐसे कर्मचारियों को उनका सेवानिवृत्ति लाभ पहले मिल चुका है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पेंशन योजना केवल दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रदान करती है।इसलिए ऐसे कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। पेंशन योजना केवल सेवानिवृत्त लोगों को निवेश का अवसर प्रदान करती है। उन्हें अपनी बचत में निवेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है और एक नियम या शर्त के प में जो कि पात्रता मानदंड की प्रकृति से अधिक है, योजना ऐसी श्रेणी के कर्मचारियों को इससे बाहर कर देती है।

16. हम बता सकते हैं कि सांवर मल (सुप्रा) में, कर्मचारी, जो तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत था, ने एक महीने का नोटिस देकर 25.2.1988 को यूको बैंक की सेवा से त्यागपत्र दे दिया और बिना किसी विरोध के अपनी भविष्य निधि भी स्वीकार कर ली। विनियम 1995 के लागू होने पर, सांवर मल ने पेंशन योजना का विकल्प चुना। चूँकि सांवर मल ने वर्ष 1988 में त्यागपत्र दे दिया था, यूको बैंक ने उन्हें फंड के सदस्य के प में स्वीकार करने के अपने विकल्प को अस्वीकार कर दिया।

17. इस न्यायालय ने, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, विनियम 1995 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करने और 'त्यागपत्र और 'सेवानिवृत्ति अभिव्यक्तियों के अर्थ की जांच करने के बाद, माना कि चूंकि विनियम 22 में त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है, जैसे कर्मचारी निधि की सदस्यता का दावा नहीं कर सके।

18. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने शीलकुमार जैन (सुप्रा) पर भारी विश्वास व्यक्त किया और तर्क प्रस्तुत किया कि उस निर्णय के आलोक में, सांवर मल (सुप्रा) में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है।

19. हम शीलकुमार जैन (सुप्रा) में बता सकते हैं कि यह न्यायालय एक बीमा योजना से निपट रहा था, न कि पेंशन योजना से, जो बैंकिंग क्षेत्र में लागू है। हमने शीलकुमार जैन (सुप्रा) में यह पाया कि यह न्यायालय बीमा योजना से संदर्भित कार्यवाही में सुनवाई कर रहा था ना कि बैंकिग क्षेत्र में लागु पेंशन योजनाओं से।योजना और विनियमन दोनों के प्रावधान सम नहीं हैं। शीलकुमार जैन मामले (सुप्रा) में, पैरा 5 का संदर्भ देते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह 'त्यागपत्र और

'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर नहीं करता है और यह केवल यह प्रावधान करता है कि जो कर्मचारी सेवा से पृथक होना चाहता है। सेवा का अर्थ 'त्यागपत्र या 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है। जबकि, बैंकों पर लागू केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 20(2) में बीमा नियमों के पैरा 5 के विपरीत, विशेष प से 'त्यागपत्र शब्द का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, उस निर्णय में, इस न्यायालय ने पैरा 30 में कहा था कि न्यायालय को यह पता लगाने के लिए प्रत्येक मामले में वैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाना होगा कि क्या किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति किस प्रकार की समाप्ति थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से त्यागपत्र या समाप्ति।

20. जब अपीलार्थीगण ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, तो वे विनियम 1979 द्वारा शासित थे। विनियम 1979 का विनियम 20(2) सेवा से त्यागपत्र से संबंधित था और उन्होंने उस प्रावधान के आलोक में अपना त्यागपत्र दे दिया। हमारा विचार है कि अपीलार्थी वैधानिक समझौता, संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 या विनियम 1995 के तहत अपने पक्ष में कोई भी पूर्व-मौजूदा अधिकार दिखाने में विफल रहे हैं। अपीलार्थीगण ने दिनांक 1.11.1993 से पहले सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए वैधानिक समझौता, संयुक्त नोट दिनांक 29.10.1993 और विनियम 1995 द्वारा कवर नहीं किए गए थे। वे विनियम 1995 के लाभ का दावा करने के लिए अपने पक्ष में कोई पूर्व-मौजूदा कानूनी, वैधानिक या मौलिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके। नतीजतन, निर्भरता अपीलार्थीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में विनियम 29 या विनियम 22 पर रखी गई दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकतीं, क्योंकि वे 1.11.1993 से बैंकों द्वारा शु की गई पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

21. इसलिए, हम इन अपीलों में कोई सार नहीं पाते हैं और इन्हें व्यय के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बलजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।